

Date: 05/07/2023

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
सीकर

(Online Proposal No. FP/RJ/Approach/156636/2022)

विषय :- Compliance Report of Diversion of 0.1695 Ha. for "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)"

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(6)वन/2023 जयपुर दिनांक 28.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिना किसी वृक्ष के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

| क्र.सं. | शर्त   | पालना  |
|---------|--|--|
| 1       | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।  | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 2       | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।   | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 3       | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।  | याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 4       | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।   | प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 5.      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 6       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 7       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 8       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। |
| 9       | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए.सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |

श्रीमती सिंह/SHAIKALI SINGH

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जयपुर रिटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

|    |   |  |
|----|---|--|
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।   | प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 11 | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।  | प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रु. 1,20,000/- (अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) UTR. NO.BARBL23081545460 Date: 22.03.2023 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।                      |
| 13 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। | यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:-<br>रु. 1,62,344/- (अक्षरे एक लाख बासठ हजार तीन सौ चव्वालीस रुपये मात्र)<br>UTR. NO.BARBL23081545460 Date: 22.03.2023 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। |
| 14 | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।   | सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।   |
| 15 | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।  | राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।  |
| 16 | भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  | जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।   |

Place: Jaipur

शैफाली सिंह/SHAIFALI SINGH

प्रदेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.

जयपुर रीटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

क्रमांक: प. 1 (6) वन/2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-Diversion of 0.1695 hd. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village -Rohal Tehsil- Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan)" (Proposal No. FP/RJ/Approch/156636/2022)**

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (535/46)2022/एफसीए/प्रमुवस/4439 दिनांक 10.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम रोहल, तहसील रामगढ शेखावटी जिला सीकर के पुराना खसरा नम्बर 42 एवं नये खसरा न. 313/312 NH-11 (New NH-52, LHS), At (Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70) हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1695 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1695 hd. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village -Rohal Tehsil- Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan)" (Proposal No. FP/RJ/Approch/156636/2022 की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पति प्रस्तुत करावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohali Sen  
Designation : Deputy Conservator  
of Forest

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तर भवन, सीकर जयपुर, राजस्थान  
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3273161

Date: 2023-02-28 16:01:56 IST  
Reason: Approved

शैफाली सिंह/SHAIKALI SINGH  
प्रदेशीय प्रबंधक (रिजल) जयपुर/Regional Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर सिटी टॉवर/Jaipur City Tower



11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदो परांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. उप वन संरक्षक, सीकर ।
7. Territory Manager, Bharat Petroleum Corporation sitapura Industrial area, Sanganer, Jaipur- 302022
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen  
Designation : Deputy Conservator

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी भवन, सीकर, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads\_forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3273161

Date: 2023-02-28 16:01:56 IST  
Reason: Approved



शौफाली सिंह / SHAI FALI SINGH  
प्रदेशिक प्रबंधक (वृक्ष) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल टेरिटोरी / Jaipur Retail Territory

3/21/23, 5:36 PM

UTR - BARBL23081545460

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

**यूनियन बैंक Union Bank**

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-03-2023

|                  |  |
|------------------|--|
| Agency Name.     | BHARAT PETROLEUM CORPORATLTD                         |
| Application No.  | 70156636895  |
| MoEF/SG File No. | 1(8)FOREST/2023                                      |
| Location.        | RAJASTHAN  |
| Address.         | Opp.JOC., LPG Plant, Suchi Pind, Jalandhar,Jalandhar |
| Amount(In Rs)    | 282344/-   |

Amount In Words :Two Lakh Eighty-Two Thousand Three Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |   |
|----------------------|---|
| Beneficiary Name:    | RAJASTHAN CAMPA   |
| IFSC Code:           | UBIN0996335   |
| Pay to Account No.   | 1508570156636895<br>Valid only for this challan amount.   |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre,21/1, III Floor,<br>Jalitta Towers, Mission Road,<br>Bengaluru-560027 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

**यूनियन बैंक Union Bank**

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-03-2023

|                  |  |
|------------------|--|
| Agency Name.     | BHARAT PETROLEUM CORPORATLTD                         |
| Application No.  | 70156636895  |
| MoEF/SG File No. | 1(8)FOREST/2023                                      |
| Location.        | RAJASTHAN  |
| Address:         | Opp.JOC., LPG Plant, Suchi Pind, Jalandhar Jalandhar |
| Amount(In Rs)    | 282344/-   |

Amount In Words :Two Lakh Eighty-Two Thousand Three Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | RAJASTHAN CAMPA  |
| IFSC Code:           | UBIN0996335  |
| Pay to Account No.   | 1508570156636895<br>Valid only for this challan amount.  |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jalitta Towers, Mission Road,<br>Bengaluru-560027 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubln0903710@unionbankofindia.bank

BARBL23081545460

फॉर्म सं. 108

**बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय प्राचीण बैंक**

शाखा : 22/3/023

दिनांक : 22/3/23

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| आधार शाला :       | 282344          |
| खाता सं. :        | 178102000037    |
| खाताधारक का नाम : | Mr. J. H. Singh |
|                   | Secular         |

आरटीजीएस/एनईएफटी-के पत्र में :

बैंक **Union Bank of India**

शाखा **Bengaluru**

आईएफएस कोड **UBIN0996335**

लानार्थी का खाता सं. **1508570156636895**

लानार्थी के खाते का प्रकार :

लानार्थी का नाम **RAJASTHAN CAMPA**

राशि (₹) **282344/-**

दिनांक **21 MAR 2023**

कुल **282344/-**

राशि **282344/-**

अधिकारी

सल्लेख / कीर्तिया

(पेक वसूली के अर्थात्)

सैफली सिंह / SIA SIA SINGH  
प्रदेशीक प्रबंधक (रुदर) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▼ Help

| Sno. | Proposal Detail  | Application_No        | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)   | Payment Status | Payment Detail  | Demand Letter  |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|---|--|
| 1    | <p>FP/RJ/Approach/156636/2022<br/>(./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Approach/156636/2022)</p> <p>Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khaara No. 42 &amp; New Khaara No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)</p> | APPROACH1566362022895 | 7015663689528        | 28 Feb 2023          | <p>CA: 120000/- ,Addl CA : 0/-<br/>                     PCA: 0/- , CAT : 0/-<br/>                     Safety : 0/- , Addl PA : 0/-<br/>                     Zones: Other<br/>                     NPV: 162344/- ,Charges : 0/-<br/>                     Other Charges1 0/-<br/>                     Other Charges2 0/-<br/>                     Other Charges3 0/-<br/>                     Total : 282344/-</p> | <p>PAID</p>    | <p>Fund Demand Verified by :21 Mar 2023<br/>                     Nodal Officer On<br/>                     Bank Name : Union Bank Of India<br/>                     Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br/>                     Challan Generated On :21 Mar 2023<br/>                     Transaction Date :22 Mar 2023</p> | <p>Demand Letter<br/>                     (./writereaddata/Fundpdf/140320231201303977_FPR/Approach1566362022_User_Fund_Demanded_76709.p<br/>                     Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1566362022895)</p> |

श्रीमती सिंघ/SHAIFALI (जयपुर/ Jaipur)  
 जयपुर रीटेल टेरिटरी/ Jaipur Retail Territory  
 भारतीय प्रयोग (पुनरु) जयपुर/ Teritory Manager (Rajasth)  
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ Bharat Petroleum Corporation Ltd

[\(HTTPS://INDIA.GOV.IN/\)](https://www.india.gov.in/)  
[\(HTTPS://WWW.MEITY.GOV.IN/\)](https://www.meity.gov.in/)  
[\(HTTPS://WWW.GOV.IN/\)](https://www.gov.in/)  
[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://www.swachhbharat.mygov.in/)  
[\(HTTPS://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN/\)](https://www.digitalindia.gov.in/)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)



राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(साविकी सीकर, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email: def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, def.sikar@gmail.com)

कर्मिक एफ ( )एफसीए/उवससी/2022 23/ 2246

दिनांक: 13/2/23

निमित्त:-

TERRITORY MANAGER,  
BHARAT PETROLEUM CORPORATION,  
SITAPURA INDUSTRIAL AREA,  
SANGANER, JAIPUR-302022

विषय:- Construction of approach access for proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail outlet on Fatehpur to Bikaner road NH-11 (New NH-52, LHS) at Chainage No.- 409+072.70 to 409+107.70 on old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, at Village-Rohal, Tehsil-Ramgarh Shekhawati, District-Sikar (Rajasthan)  
(Proposal no. FPRJ/APPROACH/156636/2022)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1(8)वन/2023 जयपुर  
दिनांक 28.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1(8)वन/2023 जयपुर दिनांक 28.02.2023 द्वारा 0.1649 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन के प्रदान की गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवायें :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 09 की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 10 की पालना में प्रदुषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 12 की पालना में 0.50 हे० वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायें :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु 1,20,000/- (In Words One lakh Twenty thousand rupees only)
4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 13 की पालना में एनपीवी राशि 0.1649 ha. x 9.5778 lac per ha. = 1,62,344 /- (In Words One Lakh Sixty Two thousand Three hundred Fourty Four rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 16 की पालना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में

प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या 12 व 13 की पालना में कुल राशि = 2,82,344 /-- (In Words Two lakh Eighty Two thousand Three hundred Fourty Four rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।

अतः शर्त संख्या 1 से 8 एवं 11, 14 व 15 में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2023 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 04 प्रतियों एवं शर्त संख्या 12 व 13 की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:-

क्रमांक एफ सम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर



## Condition No. 01

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAI FALI SINGH

प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.

जयपुर रीटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

**Condition No. 02**

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

  
**Name:**  
**Office Seal & Signature:**  
**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAIFALI SINGH  
प्रदेशिक प्रबंध (रुद्रग) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
रुद्रग क्षेत्र, जयपुर / Jaipur Retail Territory

## Condition No. 03

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:** JAGAN ALI SINGH

ग्रामीण प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.

जयपुर रीटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

Condition No. 04

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAI FALI SINGH  
प्रदेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रेटेल टैरिटरी / Jaipur Retail Territory

**Condition No. 05**

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह/SHAIKALI SINGH

प्रदेशिक प्रबन्धक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.

जयपुर क्षेत्र (खुदरा) जयपुर Retail Territory

Condition No. 06

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैबली सिंह / SHIBALI SINGH  
प्रारंभिक प्रबंधक  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
जयपुर सिटी

**Condition No. 07**

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैमली सिंह / SHAMELI SINGH

प्रादेशिक प्रबंधक (पुनर्गठन) / Regional Manager (Retail) Jaipur

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.

जयपुर रिटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

## Condition No. 8

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

SHAFALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरो) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर सिटी, जयपुर



## Condition No.9

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" हेतु जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAIKALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) कम्पनी / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

**Condition No.10**

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह/SHAIFALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल डेविजंस/Jaipur Retail Devizans

## Condition No.11

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह/SHAIFALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर, Tertiary Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, B.P. Corporation Limited  
जयपुर, जयपुर, Rajasthan, India

## Condition No.12

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि रु. 1,20,000 /- (अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) UTR. NO.BARBL23081545460 Date: 22.03.2023 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAIKALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर सिटी, राजस्थान / Jaipur, Rajasthan

## Condition No. 13

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि रू. 1,62,344/- ( अक्षरे एक लाख बासठ हजार तीन सौ चव्वालीस रुपये मात्र) UTR. NO.BARBL23081545460 Date: 22.03.2023 कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शौफाली सिंह / SHAIFALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर सिटी टेरिटोरी / Jaipur Territory

**Condition No. 14**

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह/SHAIFALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

**Condition No. 15**

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village - Rohal, Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## **UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAIFALI SINGH  
क्षेत्रीय प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रेटेल टैरिटोरी / Jaipur Retail Territory

## Condition No. 16

**Full title of the Project:** "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)"

**Proposal No :** FP/RJ/Approach/156636/2022

**Date of Proposal :** 09.06.2022

**Proposed Diversion Area :** 0.1695 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि "Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409+072.70 to 409+107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312, At Village -Rohal ,Tehsil- Ramgarh Shekhawati , District - Sikar (Rajasthan)" हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**



**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

शैफाली सिंह / SHAI FALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (रुक्ता) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर सिटी टेरिटरी / Jaipur Retail Territory



FORM-I

(For Linear Projects other than Plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Rajasthan

Office of the District collector, Sikar

Sr. No. 246

Date 3.7.23

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (conservation) second amendment rules 2014; and forest (conservation) Amendment rules 2016] it is certified that **0.1695 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Territory Manager, Bharat Petroleum Corporation Limited, Jaipur for construction of approach access for proposed retail outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11(New NH-52) at chainage No. 409+072.70 to 409+107.70 on old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312 falls within the jurisdiction of village-Rohal Khasra No-47 in Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District-Sikar. It is further certified that:

- The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1695** Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 01 to attachment 16
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above

(Dr. Amit Yadav)

Signature valid

Digitally signed by Amit Yadav  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2023.07.03 10:07:36 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4162322



FORM-I

(For Linear Projects other than Plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Rajasthan

Office of the District collector, Sikar

Sr. No. 246

Date. 3.7.23

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (conservation) second amendment rules 2014; and forest (conservation) Amendment rules 2016] it is certified that **0.1695 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Territory Manager, Bharat Petroleum Corporation Limited, Jaipur for construction of approach access for proposed retail outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11(New NH-52) at chainage No. 409+072.70 to 409+107.70 on old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312 falls within the jurisdiction of village-Rohal Khasra No-47 in Tehsil- Ramgarh Shekhawati, District-Sikar. It is further certified that:

- The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1695 Hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 01 to attachment 16
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above

(Dr. Amit Yadav)

District Collector Sikar  
**Signature valid**

Digitally signed by Amit Yadav  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2023.07.03 10:07:36 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4168322



शैफली सिंह / SHAIFALI SINGH  
क्षेत्रीय प्रबंध (रिटेल) अधिकारी / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रिटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

## -: कार्यालय जिला कलक्टर सीकर :-

## एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर की अध्यक्षता में मितिग आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डो पर विचार विमर्श किया गया :-

| क्र.स. | प्रकरण का नाम   | क्षेत्रफल       | संबंधित संस्था  |
|--------|---|-----------------|---|
| 1.     | Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022   | 2.3055 हेक्टेयर | अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर          |
| 2.     | Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT village-MALKEDA, Tehsil & DISTRICT -Sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021 | 0.1649 हेक्टेयर | श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर             |
| 3.     | Construction of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022   | 1.1880 हेक्टेयर | अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर          |
| 4      | Construction of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022   | 1.5360 हेक्टेयर | अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर          |
| 5      | Construction of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village -Salwadi, Tehsil - Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022  | 0.9810 हेक्टेयर | अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर          |
| 6      | Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021   | 0.2278 हेक्टेयर | श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड |
| 7      | Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage NO-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL-RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022                                | 0.1695 हेक्टेयर | प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर          |

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर।
2. श्री राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
3. श्री भवानी सिंह, उप वन संरक्षक, सीकर।
4. श्री महेन्द्र प्रसाद, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु०पो० आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. श्री सन्तोष कुमार मीणा, (ST) जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 03 मु.पो. दरीबा तह. नीमकाथाना जिला सीकर।
6. श्रीमती वीना वर्मा, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु० खैरवा की ढाणी पो० झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

(1) बैठक में अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-sikar स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य डोकन से जीलो तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम डोकन व

प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रेटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

2

जीलो पटवार हल्का जीलों के खसरा नं. 13, 14, 15, 90, एवं पटवार हल्का डोकन के खसरा नं. 145, 139, 133, 132, 135, 126, 149 के रकबा 178.76 हे० में से 2.3055 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022 दिनांक 27.11.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 2.3055 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त होने पर एवं उपखण्ड स्तरिय कमेटी में जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जारी करने हेतु वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(2) श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT vilage-MALKEDA, Tehsil & DISTRICT -Sikar" जिसका वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम मलकेड़ा के राजस्व ग्राम मलकेड़ा की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 212 रकबा 4.84 हे० - 545/157 रकबा 0.0546 कुल रकबा 4.8946 में से 0.1649 हे० वन भूमि के राजस्व ग्राम मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1649 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व किसी का हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(3) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य महावा से नाके वाला बालाजी तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम महावा पटवार हल्का महावा के खसरा नं. पुराना 2242 व 2243 व नया 934 व 935 के रकबा 117.45 हे० में से 1.1880 हेक्टेयर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 1.1880 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(4) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य न्योराना से केशर की ढाणी तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के खसरा नं. 16, 19, 62 व 934 के रकबा 39.07 हे० में से 1.5360 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022 दिनांक 04.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 1.5360 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


(5) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village -Salwadi, Tehsil -Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य सालवाडी से अठबीघा तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम सालवाडी पटवार ढाणी गुमान सिंह के खसरा नं. 1024, 1025, 1045, 1046, 1050, 256, 257, 261 262, 271, 273, 276, 280, 763, के रकबा 22.52 हे० में से 0.9810 हेक्टेयर तहसील खण्डेला जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.9810 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नही हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(6) श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and

राजकी सिंह/SHAIFALI SINGH  
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

लिये खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 कुल रकबा 5.916 में से 0.2278 हैं वन भूमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नही हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(7) प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage N0-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL- RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR" जिसका प्रादेशिक प्रबंधक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम रोहल के राजस्व ग्राम रोहल की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 47 कुल रकबा 5.5600 में से 0.1695 हैं वन भूमि के राजस्व ग्राम रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1695 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली हेतु पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नही हित प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि प्रत्यावर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।




(महेन्द्र प्रसाद)  
जिला परिषद सदस्य  
जिला परिषद, सीकर




(वीना वर्मा)  
जिला परिषद सदस्य  
जिला परिषद, सीकर




(सतीश कुमार)  
जिला परिषद सदस्य  
जिला परिषद, सीकर



(भवानी सिंह)  
उप वन संरक्षक  
सीकर



(राकेश कुमार)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद सीकर



(डॉ. अमित यादव)  
जिला कलक्टर  
सीकर



शैफाली सिंह/SHAIFALI SINGH

प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर/Territory Manager (Rajasthan) जयपुर  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रेटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ शेखावाटी

क्रमांक:-राजस्व/2022/10

दिनांक:- 4/1/23

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी. महो.,  
जिला परिषद सीकर।

विषय-अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक कार्यवाही रिपोर्ट आदेश प्रमाण पत्र भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक जिपसी / निर्माण / डायवर्जन / 2022 / 2623  
दिनांक 12.10.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवदेन है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिनांक 02.01.2023 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया जाकर बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रस्ताव में वन भूमि में ऐसी कोई आदिम जन जाति का कोई समूह या परिवार निवास नहीं करता है। ऐसी जन जातियों या समूहों का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है न ही कोई दावा प्रस्तावित या लम्बित है। प्रस्तावित वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समूहों के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती हैं। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति एवं प्रमाण पत्र सलंगन कर भिजवाया जा रहा है।

सलंगन - उपरोक्तानुसार

(दयानन्द रूयल)  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ शेखावाटी

शैफाली सिंह / SHAIKALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
जयपुर रीटेल टैरिटरी / Jaipur Retail Territory

दिनांक 02.01.2023 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति रामगढ शेखावाटी की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर वन अधिकारी अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के तहत आदिम जन जाति / प्रारम्भिक कृषक के अधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है।

| क्र.स. | राजस्व ग्राम | खसरा नम्बर | ग्राम पंचायत | प्रत्यावर्तन के लिए वंचित भूमि                      |
|--------|--------------|------------|--------------|---|
| 1      | रोहल         | 47         | रोलसाहबसर    | खसरा नम्बर 47 कुल रकबा 5.5600 है. में से 0.1695 है. |

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ शेखावाटी  
22.01.23

विकास अधिकारी  
फतेहपुर

तहसीलदार  
रामगढ शेखावाटी  
अधिशायी अभियन्ता  
एन.एच.ए. अ.ई. चुरू

क्ष.वन  
अधिकारी  
फतेहपुर

शैफाली सिंह / SHAFALI SINGH  
प्रादेशिक प्रबंधक (खसरा) जयपुर / Territory Manager (Khasra) Jaipur  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited  
जयपुर रेटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की  
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय  
वन अधिकार समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर/क/ अजयपुर में  
दिनांक 02.01.2023 को बैठक अधिसूक्ति की 7वीं पिरा में निर्वाचित  
सदस्य उपस्थित हुए।

- |         |  |           |
|---------|--|-----------|
| क्र.सं. | उपस्थित सदस्य  | हस्ताक्षर |
| 1.      | श्री. हयानन्द कुमार, उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर/रामगढ़  |           |
| 2.      | श्री. रामचन्द्र गुर्जर, तहसीलदार, कलेक्टर/रामगढ़     |           |
| 3.      | श्री. विमलेश सावरा, अध्यक्ष, अतिमिता एवं 14 क्लब     |           |
| 4.      | श्री. नरेश कुमार लेनी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कलेक्टर | N. Saini  |
| 5.      | श्री. सुनील ठाकुर, विकास अधिकारी, कलेक्टर            |           |

|         |           |          |                  |                 |
|---------|-----------|----------|------------------|-----------------|
| क्र.सं. | नाम       | कुल रकबा | कुल क्षेत्रफल    | वनखण्ड का नाम   |
| 1.      | ग्राम रोड | 5.5000   | में से 0.1675 ha | रक्षित वन पट्टी |

साथ पैशोलिम कापाखान लिमिटेड रिजर्व साइडर N.M. II (ग्रुप N.M. 50  
प्रान्त कलेक्टर तहसीलदार रोड N.M. II (ग्रुप N.M. 52) की चयन क्र. No.  
पठक 072/2020 को पठक 107/2020 को लंबवत खपरा जठ पर नाम न्यून खतरा जठ  
डाडा/डा2 व जौपरीखत तहसील-रामगढ़ क्षेत्रां पर विचार-विमर्श उपरान्त  
बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्वाचित जा गया कि  
उक्त प्रस्ताव में बंदिह वन पट्टी को गैर वन भूमि उपभोग में लेने हेतु  
क्षेत्रीय क्षेत्र में कोई एक अधिकारी की मान्यता में बंदिह की अनुसूचित  
जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई प्रकृष्ट या परिवार बंदिह  
क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं। ऐसे जनजातियों व परिवार का कोई दावा प्राप्त नहीं  
है। कोई दावा प्रस्तुत या मंजूर नहीं है। प्रस्तावित बंदिह वन भूमि/पट्टी  
उपरोक्त कृषक समूहों के हित में उपस्थित नहीं है। अतः उपरोक्त वन भूमि  
को गैर वन भूमि में डाला जाय। अधिसूक्ति की कोई बाधा उपस्थित नहीं है।

|                |         |          |         |         |         |
|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 02.01.2023     | सदस्य   | शरणा     | शरणा    | शरणा    | शरणा    |
| उपखण्ड अधिकारी | विकास   | तहसीलदार | अतिमिता | अतिमिता | अतिमिता |
| कलेक्टर        | कलेक्टर | कलेक्टर  | कलेक्टर | NHAI    | कलेक्टर |
| रामगढ़         | रामगढ़  | रामगढ़   | रामगढ़  | रामगढ़  | रामगढ़  |



# कार्यालय-ग्राम पंचायत, रोलसाहबसर

पंचायत समिति-फतेहपुर शेखावाटी, जिला-सीकर (राजस्थान)

7


सरपंच:-  
ग्यारसी  
M. 9829145868

क्रमांक: 64

आदेश उपाण-पत्र

दिनांक: 14/11/2022

शुभ रात्रि 14/11/2022 के उस्ताप सख्या 05 की सव्यपतिलिपि  
 राज शाह एका में सीमाना अति. हुय्यवारी अधिकारी महोदय के पत्रांक  
 पेली/मिनिग/उपवर्जन/2022/2622 दिनांक 12/10/2022 के सव्यपत्र में -  
 देमला उपाण पत्र अंगग गमा जिएपट शाह एका में कर्वा की गई कि  
 उद्वित जन जाति और काल परम्परागत कन निवासी (कन अधिगारी  
 ने मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कन अधिगार उपाण पत्र (FRA (Land  
 (Land) के सव्यपत्र में शाह एका में विस्तृत रूप से किया निर्णय कर निर्णय  
 उपाण गमा कि प्रादेशिक प्रबंधक (एडव) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 अड्डर के डाय "Construction of Approach Road" for Proposed Bharat Petrol  
 Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11  
 New NH-52 LHS) At Chaurage No-409+012.70 to 409+107.70 on Old  
 Hasara No 42 and New Hasara No 313/312 at village - Rohal Tehsil  
 Mangarh Bheekhawati District - Bikaner (Rajasthan) जिसका प्रादेशिक  
 प्रबंधक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डाय निर्णय किया ~~का उपाण~~  
 का उपाणित है के निर्णय में कन क्षेत्र की अति के सव्यपत्र नं 47 उद्वित  
 50 में से 0.1695 है कन अधि कन सव्य जलवायु परिवर्तन पत्रांक भारत  
 एका के उस्ताप सख्या PP/RJ/Approach/56636/2022 के डाय आदेश/मिनिग  
 जिलेके लिए अधिनियम 2006 एव 2008 के अन्तर्गत कर्ति कोई भी उद्वि-  
 चित जन जाति और काल परम्परागत कन निवासी का कोई प्राण लम्बित की  
 लम्बित की का उद्वित उपाणित नहीं होग है।  
 अतः शाह पंचायत द्वारा सर्वकर्मिता से शाह एका में सहमोजन कर-  
 देमला उपाण-पत्र जारी किया जात है।

  
 ग्राम विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत रोलसाहबसर  
 प. स. फतेहपुर (सीकर)

ग्यारसी  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत रोलसाहबसर  
 पंचायत समिति फतेहपुर  
 शाहली सिंह / SHAFALI SINGH  
 प्रादेशिक प्रबंधक (रुद्ररा) जयपुर / Territory Manager  
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
 जयपुर रीटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory

नामपुर के द्वारा "Construction of Approach Road" for  
 proposed Bharat Petroleum Corporation Limited  
 Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11  
 (N/A NH-52 LHS) at Chainage No. 405 + 072.70 to  
 409 + 107.70 on old thesate No. 428 New Khurda No.  
 313/312 at Village - Rohal Teh. Ramgarh Shekhuda  
 प्रो. सिखा (Rasabhanu) जिला जयपुर  
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माण किया  
 जाना उद्देश्य है कि निर्माण में वन सैज की रूढ़ि कक्षा  
 नं० 47 कुल रकबा 5.5600 में से 0.1695 है वन रूढ़ि वन  
 एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा  
 क्रम्य EPI/RJ/Approach/556638/2022 के द्वारा आदेश किया  
 है। इसके लिए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आमर्जन व  
 रूढ़ि 0.1692 है का पुनर्वापस आमर्जन हेतु आदेश दिया  
 है। अतः अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन  
 एवं भी अधिसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन कक्षा  
 का कोई दावा सम्बन्धित नहीं है तथा किसी का हित प्रभावित  
 नहीं होता है।

अतः उपरोक्त द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत  
 में अनुमोदन कर अधिमता उठाया जाये कि ज्ञात  
 है।

अतः में अधिमता महोदय की आज्ञा है ग्राम पंचायत  
 कि कार्यवाही कागजात ग्राम पंचायत को विस्तारित  
 की गई

जयश्री  
 सरपंच

ग्राम पंचायत गोलसाहबसर  
 पंचायत समिति कतेहरा

जयश्री  
 सरपंच

ग्राम पंचायत गोलसाहबसर  
 पंचायत समिति कतेहरा

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत कतेहरा (सीकर)  
 श्री अरवि सिंह

प्रदेशिक प्रबंध (रुग्ण) जयपुर/Territory Manager (Retail) Jaipur  
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
 जयपुर रेटेल टेरिटरी/Jaipur Retail Territory

ग्राम पंचायत का प्रमुख निम्न प्रकार है -  
 1) जिस क्षेत्र विनिर्देशित क्षेत्रों में दि. 21.3.72  
 भारतीय प्रशासकीय महोदय, राजस्थान राज्य सरकार की  
 गति कि सुनिश्चित करने की योजनाओं से कोई परिवार  
 व्यक्ति ना रहे इस हेतु योजनाओं का अन्वेषण  
 करना

2) विनिर्देशित निवास गणपती का विशेष संविदा  
 अनुसंधान 2023 का अन्वेषण प्रकाश करना।

3) अन्य विनिर्देशित क्षेत्रों में महोदय की आशा अनुसार

अन्वेषण 1) सर्वप्रथम गांव ग्राम पंचायत की कार्यवाही का  
 फंडिंग हेतु अनुसंधान गांव जिल्ला वार्ड विनिर्देशित  
 कल प्रकाश का सर्वप्रथम से अनुसंधान किया  
 गया।

प्रकाश 2) आज की ग्राम पंचायत में वार्ड क्षेत्रों में  
 विनिर्देशित विनिर्देशित क्षेत्रों पर दिनांक 21.3.72  
 भारतीय प्रशासकीय महोदय, राजस्थान राज्य सरकार  
 की गति की शान्त प्रकाश की योजनाओं से कोई परिवार  
 व्यक्ति ना रहे इस हेतु योजनाओं का अन्वेषण  
 प्रकाश-प्रकाश हेतु आज की ग्राम पंचायत में निम्न  
 प्रकार का अनुसंधान किया है -

1) निम्नलिखित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
 ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से विनिर्देशित क्षेत्रों में  
 राजस्थान सरकार के लोटे से विनिर्देशित क्षेत्रों में  
 की गति से इस योजना में पात्र व्यक्ति को  
 इसके अन्तर्गत किया जाय इसके साथ ही ग्राम  
 पंचायत विनिर्देशित स्वास्थ्य विभाग योजनाओं के अन्तर्गत  
 प्रकाश प्रकाश की गति योजना से कोई व्यक्ति ना  
 रहे इसके अन्वेषण किया जाय।

2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
 ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से अनुसंधान प्रकाश

शैफाली सिंह / SHAIKALI SINGH  
 क्षेत्रीय प्रबंधक (सुदूर) जयपुर / Territory Manager  
 भारत प्रशासक क्षेत्रीय विनिर्देशित / Bharat Panchayat  
 जयपुर क्षेत्रीय विनिर्देशित

मेजरता ② पालकपाल मेजरता के बारे में कार्य की

22  
7  
4  
4  
2

गर्भ पात्र कार्यक्रम का दूसरा एक विवरण का अभाव  
रक्त डेढ़ ग्राम लम्बा में पुस्तक के मन्त्री की - 8 अक्ष  
शुभ फलान में पालकपाल मेजरता में श्री राज ललाधिय  
का अधिकतम कोडिडन पर करवाने का यह प्रस्ताव  
स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सिद्ध गमा।

③ रुचि विकास - रुचि विकास में संशोधन रुचि  
प्रस्तुत। रुचि ललाधिय एवं रुचि निर्मित मेजरता 2015  
काई मेजरताका पर विचारपूर्वक कार्य की गई

④ सामाजिक विकास - ग्राम लला में संशोधन  
सकार की संशोधनपूर्वक रूपान्तरण संशोधन जगि सुभल  
मेजरता के बारे में विचारपूर्वक कार्य की गई सिद्ध  
अभाव ललाधिय कि जन संशोधन के बिना कर- निशेधन  
राज्य की सिद्ध का संशोधन के अभाव ललाधिय में  
कोई अक्षय वर्तित न रहे

⑤ स्थूल शिक्षा विकास - ग्राम लला में महाशाली  
राजकीय विद्यालय एवं मिडि डेरीय मेजरता पर विचारपूर्वक  
कार्य की गई एवं अभाव ललाधिय में मेजरता संशोधन की  
विशेष मेजरताका का ललाधिय अभाव ललाधिय में विचार  
जाए

⑥ उच्च शिक्षा विकास - ग्राम लला में, सुशाली शिक्षा  
सिंकिज मेजरता के बारे में विचारपूर्वक कार्य की गई

⑦ महिला एवं बाल विकास विकास - ग्राम लला में  
IAP उद्देश्य मेजरता उद्देश्य अर्थात् महिला मेजरता  
के बारे में कार्य की गई इस मेजरताको सिद्ध  
रुचि - कार्य की गई

ग्राम लला में इन विभागों के लक्ष्य 2 एवं  
मेजरता पर विचारपूर्वक कार्य में गई अभाव  
दुष्प्रकार अर्थात् काई ललाधिय इन मेजरता का  
वर्धित न रहे इस अभाव के लक्ष्य अर्थात् अभाव  
का उपलब्ध लक्ष्य अभाव ललाधिय में  
अभाव सिद्ध गमा।

⑧ ग्राम लला में अभाव ललाधिय

के सम्बन्धित विषय, किन्तु यह देख के ध्यान देना  
 कि जो नगरपालिका का माड मिल गया था  
 इस हेतु बालू तथा का आभोजन मिल  
 गया तथा फल के व्यवस्था विचार हेतु  
 विचार-धर्म फर्मा की गई तथा प्रत्येक  
 संरक्षण हेतु आभोजन मिल गया  
 प्रमाण (4) ग्राम समुदाय में निर्वाचन नामावली विशेष  
 सचिव के द्वारा 2023 के लिए निर्वाचन  
 प्रक्रिया के लिए तथा नवीन मतदाता सूची  
 का प्रकाशन दिनांक 17/11/2022 को किया गया  
 था ग्राम समुदाय के सचिव प्रमुख मिल गया था  
 तथा वे मतदाता सूची 17/11/2022 के साथ  
 जाग सुडगर को ग्राम समुदाय में प्रकाश रख्य कि  
 इस आभोजन के अन्तर्गत के कुछ उद्देश्य हेतु 5 फीस  
 भ्रष्टाचार संश्लेष BCO के अन्तर्गत जारी जाग सुडगर  
 की समझौता की गई।

विशेष ध्यान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उद्देश्य  
 प्रत्येक सुव्यवस्था में।

(2) पुनरोक्षण के सम्बन्धित दिशानिर्देशों के अन्तर्गत  
 में प्रत्येक सुव्यवस्था में।

(3) मतदाता सूची का प्रत्येक सुव्यवस्था में  
 उपस्थित अर्थात् न डेट प्रत्येक पर गैर-संश्लेष  
 विचार किया गया तथा वाड-विचार विचार के  
 प्रमाण का संरक्षण हेतु आभोजन किया गया

प्रमाण (5) ग्राम समुदाय में निर्वाचन नामावली  
 कार्यकारी अधिकारी महोदय के द्वारा जारी। निर्वाचन /  
 अभिवर्तन 2022/2622 दिनांक 12/10/2022 के अन्तर्गत  
 में अद्यतन उपाध्याय आता गया जिस पर ग्राम समुदाय  
 में कार्य की गई कि अनुसूचित जन जाति और अन्य  
 परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता  
 अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पुनर्निर्धार प्रमाण-पत्र /  
 PRA Certificate) के अन्तर्गत में ग्राम समुदाय में निर्वाचन  
 कार्य के विचार विचार के निर्वाचन किया गया कि उपाध्याय  
 प्रमाण (अनुसूचित) भारत पर ही निर्वाचन कार्य हेतु

शमली सिंह / SHAMALI SINGH  
 प्रादेशिक प्रबंधक (वित्त) जयपुर / Territory Manager (Retail) Jaipur  
 जयपुर रेटेल टेरिटरी / Jaipur Retail Territory



हीम कुमार B.L.O भाग संख्या - 65  
 जय कालोड B.L.O भाग संख्या - 73  
 उमम सायन जोसणी देवी  
 प्रेम प्रकाश B.L.O भाग संख्या - 66  
 परिभाद शंभू वंशान शंभू  
 जयप्रकाश B.L.O भाग संख्या - 74  
 राम कुमार B.L.O भाग संख्या - 68  
 विनोद कुमार B.L.O भाग संख्या - 67  
 पावती देवी (काकावाडी) काप का काकावाडी

हीम  
 जोसणी देवी  
 प्रेम  
 जयप्रकाश  
 काकावाडी  
 विनोद  
 पावती देवी

Handwritten signature

अत्रवपुववा

अत्र

Handwritten signature

अत्रवपुववा

काकावाडी

काकावाडी

काकावाडी

काकावाडी

काकावाडी

काकावाडी

Handwritten signature

Handwritten signature

काकावाडी

काकावाडी

काकावाडी

काकावाडी

Handwritten signature

शांति सिंह / SHAIFALI SINGH  
 प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) जयपुर / Territorial Manager  
 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
 जयपुर रीटेल टेरिटररी / Jaipur Retail Territory

Handwritten signature

महाराष्ट्र राज्य  
संस्कृत विद्यापीठ  
मुंबई

Handwritten signature

मुंबई

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

Handwritten signature

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई

मुंबई / SHAIFALI SINGH  
मुंबई / जयपुर / Termit  
मुंबई / कोयंबटूर / मुंबई  
मुंबई / मुंबई / मुंबई



Question

मनोपरायण  
परिवर्तन

मनोवीर सिंह

पवन

विजयसिंह

आमन खान

इन्दरसिंह

अमरसिंह

जयसिंह

मानसिंह

बनवारीलाल

पवनसिंह

कृष्णराम

अमरसिंह

बनवारीलाल

रुमाराज

शुभा

शारदा

सुन्दर

शिवराज

पारस

जयसिंह

राजेश

रज

जगदीश

जयसिंह

आर्य

अमरसिंह

विजयसिंह

मोहन

अमरसिंह

विजयसिंह

अमरसिंह

पवनसिंह

इन्दरसिंह

जयसिंह

अमरसिंह

आमन

राजेश

जगदीश

Dr. SHARFALI SINGH  
Territory Manager (Fuel)  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Jaipur Retail Territory

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <del>_____</del> | _____       | _____           |
| <del>_____</del> | _____       | _____           |
| राजकील कली       | ओमा पुवाल   | राजपाल सिंह     |
| _____            | _____       | राजु            |
| रावेल लाल        | रूपनी       | ओमा राम         |
| कृष्णी सिंह      | _____       | राजेन्द्र कुमार |
| वजरंगदान         | मुन्नी देवी | अली खाँ         |
| जितेन्द्र सिंह   | _____       | शमर सिंह        |
|                  | पुष्पा      | पिकु देवी       |
| Dalip Singh      | सुशीला      | सुरेन्द्र सिंह  |
| Sonam Singh      | _____       | विशाल           |
| RAJVEER Singh    | _____       | ईकराम खाँ       |
| _____            | राज सिंह    | राजु RAM        |
| _____            | _____       | सुरेन्द्र सिंह  |
| प्रभाष देवी      | _____       | शमर             |
| अली मोहम्मद      | पप्पु सिंह  | राजु देवी       |
| मोनीवीर खन्ने    | _____       | संभव            |
| हेम सिंह         | शारि देवी   | पुष्पा देवी     |
| सुखदेव           | क.पा. देवी  | शमर सिंह / SHAR |
| _____            | _____       | पुष्पा देवी     |
| _____            | _____       | अली             |

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

# अध्यक्ष बैरासरिया की मांग की

# एबीएन स्कूल में कॅरिअर काउंसलिंग का आयोजन



ग बैरासरिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीवाईएसपी इन्सार अली

झुंझुनू, (निसं)। चूणा चौक राणी सती रोड स्थित झुंझुनू प्रगति संघ मुंबई द्वारा संचालित आदर्श बाल निकेतन सीनियर सैकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं व 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कॅरिअर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए आगरा की काउंसलिंग लॉरेंस से उमेश शर्मा विद्यालय पधारे। विद्यालय पधारने पर सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात विद्यालय सचिव परमेश्वरलाल हलवाई ने माल्यार्पण कर उमेश शर्मा का स्वागत किया। उमेश शर्मा ने बच्चों की काउंसलिंग करते हुए बताया कि विभिन्न

विषयों के द्वारा विद्यार्थी अपनी तैयारी करके विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि के अनुसार अपने क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को अपनी रुचि के क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी के लिए विभिन्न टिप्स बताएं एवं विभिन्न इंस्टीट्यूट के बारे में विस्तार से बताया। विद्यालय सचिव परमेश्वरलाल हलवाई ने उमेश शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से बच्चों के लिए आज का यह कार्यक्रम उपयोगी रहा है। भविष्य में भी बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय करवाता रहेगा। ताकि विद्यार्थियों को सही कॅरिअर चुनने के लिए मार्गदर्शन मिलता रहे।

बलवृत्ते पर गवाहों को लोभ-लालच देकर अपने प्रभाव से गवाहों को विन ओवर करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गिरफ्तार नहीं की गई तो सर्वसमाज को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राजगढ़ पुलिस उपाधीक्षक इन्सार अली

ने बताया कि आज लोगों के द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया की गिरफ्तारी को लेकर जापन दिया है, तथा प्रकरण में विधिक अनुसंधान चल रहा है, विधिक अनुसंधान पूर्ण होने के बाद दोषी पाये जाने पर गिरफ्तारी की कार्यवाही की जावेगी।

# विवाद को लेकर पक्षों में मारपीट

उन्होंने एक राय होकर हमला कर दिया। जिससे दोनों पक्षों में हुई मारपीट में सुनील पुत्र जगमोहन, नेतराम पुत्र सुरजारांम, सुरेंद्र पुत्र नेतराम, रोहिताश देवी पत्नी गुरुदयाल, विमला देवी पत्नी नेतराम घायल हो गए। मारपीट में पांचों घायलों को घायलवस्था में खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सिर में गंभीर चोट होने के बाद सुनील, नेतराम व सुरेंद्र को झुंझुनू रैफर कर दिया।

जाते हैं। उन्होंने बताया कि विवादित प्लॉट उनका पुश्तैनी प्लॉट है। जिसमें वह बकरियों का बाड़ा बना रखा है और प्रहलाद के परिवार के लोग उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में भी कई बार आपसी झगड़ों की स्थिति बन चुकी है तथा आखिर में गाँव की सभना पर खेतड़ी पुलिस भी राजकीय अजीत अस्पताल भेजेंगे। तथा घटनाक्रम की जानकारी सुनाई।

मारपीट में घायल नेतराम ने बताया कि प्लॉट के लेकर पिछले काफी समय से उनका प्रहलाद के परिवार से विवाद चल रहा है। जिस पर कई बार वह अपने विवाद को बैठकर गाँव के मौजिब लोगों के बीच समझाने को लेकर रुझ चुका

साआई विनोद सार्वजनिक विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। जिसमें एक पक्ष की दो महिला व तीन पुरुष घायल हो गए हैं। जिनको उपचार के लिए भेजा गया है। अभी किसी भी तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के

**भाई** राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर, दिनांक.

क्रमांक: प. 1 (5) वन / 2023  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।  
 विषय:- Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village -Rohal Tehsil- Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan) (Propose No. FPR/JA/Approch/156636/2022)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (535/46)2022/एफसीए/प्रमुख/4439 दिनांक 10.01.2023 उपरोक्त विषयान्वित संबन्धित प्रस्ताव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम रोहल, तहसील रामगढ़ रोहावटी जिला सीकर के पुराना खसरा नम्बर 42 एवं नये खसरा नं. 313/312 NH-11 (New NH-52, LHS), At (Chainage No. -409-072.70 to 409 107.70) हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1649 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति माँगी गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपचार प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य विज्ञापन-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. -409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village -Rohal Tehsil- Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan) (Proposal No. FPR/JA/Approch/156636/2022) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न बातों के अधीन प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. यात्रक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण-एट एच रखवाय के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्ष वन विभाग की बिना पूर्वाज्ञा के नहीं काटा जावे। 5. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्ट्राफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्ट्राफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल अपूर्णित की जायेगी, ताकि निष्कल्पावर्ती नहीं को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा स्वयं के खर्च पर पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separatis and) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें सुरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति सुधारों के अतिरिक्त करेगा। 9. प्रयोक्ता अतिक्रमण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सॉटिकेट प्रस्तुत करवेगा। तदुपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. प्रयोक्ता अतिक्रमण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनुमति प्रस्तुत करवेगा। 11. प्रयोक्ता अतिक्रमण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विज्ञापन-निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अतिक्रमण के खर्च पर वन विभाग द्वारा शुरुय से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के विट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आर.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 6-9/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2018 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान प्रत्यक्ष (एच.पी.सी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा वृक्षों सभी नियमों प्रतिपूर्ति योजनाएँ निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक बालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदुपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 14. प्रयोक्ता अतिक्रमण इस आशय का बंधनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि इसका खर्च से यदि एन.पी.सी की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय मीन टिड्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समानांतर पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के सार्वजनिक अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (मोनाली सेन), विश्वेधिकात्री

**भाई** राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर, दिनांक.

क्रमांक: प. 1 (5) वन / 2023  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।  
 विषय:- Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-823 to 338-858 on N.H.

**भूमि**  
राजस्थान सरकार वन विभाग  
जयपुर, विना-क.  
क्रमांक: प. 1 ( 5 ) वन / 2023  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।  
विषय:- Diversion of 0.1695 hd. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village -Rohal Tehsil- Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan) (Proposal No. FPR/J/Approach/156636/2022)  
संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (535/45)2022/एफसीए/प्रमुख/4436 दिनांक 10.01.2023 उपरोक्त विषयवस्तु संबंधित प्रस्ताव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम रोहल, तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर के नये खसरा नम्बर 42 एवं नये खसरा नं. 313 /312 NH-11 (New NH-52, LHS), At ( Chainage No. -409-072.70 to 409 107.70) हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1695 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटबल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपान प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1695 hd. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village -Rohal Tehsil- Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan) (Proposal No. FPR/J/Approach/156636/2022) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायेगी एवं इनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले कोई वृक्ष वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित करे पर विचार किया जायेगा। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास भजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसायन/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षांशोपण क्षतिपूर्ति वृक्षांशोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करायेंगे। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनुमति प्रस्तुत करायेंगे। 11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन हाने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षांशोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.सी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी अनिवार्य प्रसिद्धि पौधांशोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक बालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मसदार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.सी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्बुल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यथार एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये जायें। स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
भवदीय, (मोनाली सेन), विशेषाधिकारी

**भूमि**  
राजस्थान सरकार वन विभाग  
जयपुर, विना-क.  
क्रमांक: प. 1 ( 5 ) वन / 2023  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।  
विषय:- Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH-52 (old NH-11) RHS: White Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FPR/J/Approach/148278/2021)  
संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (535/47)2021/एफसीए/प्रमुख/4488 दिनांक 13.01.2022, संदर्भः उपरोक्त विषयवस्तु संबंधित प्रस्ताव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम मालखेडा, तहसील सीकर जिला सीकर के नये खसरा नम्बर 546/157 एवं 632/544 (पुराना खसरा 544/157 एवं 546/157) के 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH-52 (old NH-11) हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1649 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटबल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपान प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH- 52(old NH-11) RHS: White Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FPR/J/Approach/148278/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायेगी एवं इनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले कोई वृक्ष वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित करे पर विचार किया जायेगा। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास भजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसायन/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षांशोपण क्षतिपूर्ति वृक्षांशोपण के अतिरिक्त होगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर डी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षांशोपण क्षतिपूर्ति वृक्षांशोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करायेंगे। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनुमति प्रस्तुत करायेंगे। 11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन हाने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षांशोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.सी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी अनिवार्य प्रसिद्धि पौधांशोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक बालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मसदार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.सी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्बुल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यथार एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये जायें। स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
भवदीय, (मोनाली सेन), विशेषाधिकारी

In series of tweets, he said, "There is perhaps no such package for martyr families in any other state for the families of the martyrs."  
"BJP leaders had misbriefed statue installed at a circle (Chauraha) whereas two of his statues have already been installed, one in the campus of Govt. College Sangod and another in a park in his native village Vinod Kalan." "How job to any pling upon dren of th happen to

# Global conclave to be held

JAIPUR: Rajasthan chief minister Ashok Gehlot has approved the International Rajasthan Conclave to be held in the state on September 23 and 24, people in the know of the matter said on Thursday.  
Gehlot has also approved the proposal for an additional budget provision of ₹5 crore for this event, which will be organised under the aegis of state industries department and Rajasthan Foundation, said the people.  
Earlier, the CM had announced the International Rajasthan Conclave, while presenting the budget for 2023-24, with the aim of "bringing the migrant Rajasthanis together".  
During multiple sessions on pride, literature, music, welfare, entertainment, quoted session on investment

## HT Classifieds Friday

www.htclassifieds.com

### EDUCATION

### ADMISSIONS

CHANGE OF NAME

- I. POOJA Tiwari W/o Sudhir Tiwari Staff Colony Ginni International Ltd Neemrana 301705 declares that in School documents my name is Pooja Purohit. After marriage I have taken my surname as Pooja Tiwari in the future I should be known by the name of Pooja Tiwari
- IVIMLESH Kumari W/o Indian Army No. 1263623Y Rank Ex NK Late Kamal Singh R/o Plot No. 3 Dev Nagar A Simliya Road Near Jain farm house Vatika Sangar Jaipur that I have changed my name from Bimilesh Kumari (DOB 25/5/1957) is wrong entered in service record to Vimlesh Kumari (15/9/1964) vide affidavit dated 6 March 2023 before District Notary Jaipur
- IN MY passport number F2944267, my name is Karshan Murari, while I have changed my name from Karshan Murari to Murari Lal Jangid. In the future, I will be known and recognized by the name of Murari Lal Jangid. Which is true and correct. Murari Lal Jangid aged 49 years son of Shri Prameshwar Lal by cast Jangid Resident of Ward No. 18 Rajgarh distt. Churu (Raj.)
- I. RAKIA Begam Laskar is legal Mother of No. 15619791F Rank NK Name Sarif Uddin Laskar of Unit 13 Guards C/o 56 APO resident at Vill- Uttar-Jasabhad PO- Lalumukh, Teh- Hallakandi Distt- Hallakandi State-Assam Pin- 788163. I have changed my name from Raqua Katun to Rakia Begam Laskar vide Affidavit Dated 06-03-2023 before Barmer.
- I. MANISHA D/o Tarachand after marriage changed my name to Manisha Singh W/o Rahul Singh. In future, both names are mine. Add- B44, Shrisrinath Residency, Kota (Raj)
- I. LARELY Pegu is legal Mother of No. 15613643A Rank Hay Name Sonewasw Pegu of Unit 13 Guards C/o 56 APO resident at Vill- Balianj PO Bokahat, Distt- Golaghat State- Assam Pin- 785612 I have changed my name from Larely Pegu to Larely Pegu vide Affidavit Dated 06-03-2023 before Barmer.
- I. SAPNA is legally wedded spouse of No. 15622726M Rank Hay Name Rahul Singh of Unit 13 Guards C/o 56 APO resident at Vill- Chambo PO Chambo, Teh- Attri Distt- Bhand State- MP Pin- 477111 I have changed my name from Sapna to Sapna Singh vide Affidavit Dated 06-03-2023 before Barmer
- I. MD Eusuf Ali is legal Father of No. 15620475M Rank NK Name Md Rafiqul Islam of Unit 13 Guards C/o 56 APO resident at Vill- Hira Para PO- Dhula, Teh- Mangaldai Distt- Darrang State- Assam Pin-784146 I have changed my name from Md. Eusuf Ali to Eusuf Ali vide Affidavit Dated 06-03-2023 before Barmer.
- I HAVE Changed my name from Nikita to Nikita Chandwani for all purpose R/o E-105, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur (Raj.)

## CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE

VELLORE, TN - 632 002 Email: registrar@cmcvellore.ac.in

### ADMISSIONS NOTICE 2023

Group A : MBBS, B.Sc., Nursing -Vellore campus, B.Sc., Nursing - Chittoor campus and Allied Health Sciences (AHS) Degree Courses

Group B : Diploma in Nursing, AHS Diploma Courses, AHS/PG Diploma courses. MSc Bioethics, Biostatistics, Medical Physics, Epidemiology, Clinical Nutrition & Nuclear Medicine Technology. MPH (Master of Public Health), MHA (Master of Hospital Administration), MPT (Master of Physiotherapy), Fellowships in Antimicrobial Stewardship for Clinical Pharmacists, Hospital Quality Management (FHQM) & Hospital Chaplaincy.

#### Certificate courses & Post-Doctoral Fellowship Courses

#### M.S. Bioengineering Course

The last date for online application submission for Group A & B and MS Bioengineering courses with payment is 3rd April 2023 and Certificate & PDF courses is 5th April 2023.

For more details refer Admission Bulletins available at CMC, Vellore website <http://admissions.cmcvellore.ac.in>

#### Important Information:

The admission process contained in the Bulletins shall be subject to any order that may be passed by the Hon'ble Supreme Court / High Court / any other statutory enactments that may be passed by the Central or State Government.

REGISTRAR

## COLLEGE OF NURSING

VELLORE, TN - 632 004 Email: registrar@cmcvellore.ac.in

### M.Sc., Post Basic B.Sc., Post Basic Diploma and Fellowship in Nursing Programmes Admissions: 2023 - 2024

Application form can be accessed & submitted only online through the college website till 3rd April 2023

Please refer to Admission Bulletin (available at our website) for course details, eligibility criteria etc.

REGISTRAR

#### PUBLIC NOTICE

The General Public are CAUTIONED not to be lured by any person offering admission to any of the courses conducted by CMC Vellore. The college will not be responsible for any candidates or parents dealing with such person / persons. Civil and a criminal court proceeding will be taken up against any person who holds out promises and also uses the institutions intellectual properties. PLEASE NOTE: WE DO NOT ADMIT STUDENTS THROUGH AGENTS OR AGENCIES.

CMC VELLORE ADMINISTRATION